

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/90ए/2022/डी-1289

दिनांक 28/6/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार कृतिका अपार्टमेन्ट्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश जैन निवासी-2339, रामलाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2457/2680 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 2458 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 2459/2681 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्ट. में औद्योगिक जारी 90क को पुनः अकृषि से कृषि प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2457/2680 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 2458 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 2459/2681 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्ट. भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 19.8.2019 को पारीत किया गया था। प्रकरण में 90-क की कार्यवाही किये हुये 1 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अतः प्रकरण में जविप्रा, जयपुर की बी.पी. सी(एल.पी.) की 297वीं बैठक दिनांक 15.3.2021 के नीतिगत निर्णय की अनुपालना में सार्वजनिक लोक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

अतः ग्राम दहमीकंला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2457/2680 रकबा 0.06 हैक्ट. ख.नं. 2458 रकबा 0.45 हैक्ट. ख.नं. 2459/2681 रकबा 0.05 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.56 हैक्ट. औद्योगिक प्रयोजनार्थ जारी निर्णय को निरस्त कर पुनः अकृषि से कृषि भूमि किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में आवासीय योजना में मानचित्र जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।


यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30/6/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- कृतिका अपार्टमेन्ट्स प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश जैन निवासी-2339, रामलाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत-अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(आई.डी. 232 व 270 बगरूखुर्द) जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1790 दिनांक 28/6/22


## विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन नम्बर	भूखण्डधारी का नाम	सेज पुनर्वास योजना ग्राम	किस्म	भूखण्ड संख्या	आवेदक का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
107279	श्री सूज्या पुत्र श्री धन्ना	भम्मोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार)	आवासीय	831	श्री रामअवतार, श्री रामदयाल, श्री फुलचंद पुत्रान स्व. श्री सूजाराम	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण
107339			आवासीय	312-सी		
107340			व्यावसायिक	एस-274		
107341			व्यावसायिक	एस-35-सी		
107338			व्यावसायिक	एस-800		
107265	श्री सूज्या पुत्र श्री धन्ना	भम्मोरिया / बगरूखुर्द (राजदरबार)	आवासीय	131	श्री रामअवतार, श्री रामदयाल, श्री फुलचंद पुत्रान स्व. श्री सूजाराम	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण
107260			आवासीय	423		
107269			व्यावसायिक	एस-366		
107274			व्यावसायिक	एस-251		

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101647

दिनांक: 27/06/2022

लोक सूचना

नीरजा मोदी पत्नी श्री विष्णु मोदी जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. डी-46-बी, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती नीरजा मोदी पत्नी श्री विष्णु मोदी जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. डी-46-बी, मालवीय मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।	1125/239	8000	0.80
			1127/234	100	0.01
			1148/255	1900	0.19
			1151/253	0.1950	0.1950
			1153/254	1800	0.18
			1157/256	225	0.0225
			कुल		1.3975

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और गुहर के अधीन आज दिनांक **27-06-2022** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक- जविप्रा/जोन-14/2022/डी-2645

दिनांक 28/6/2022

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1.	A-167	200 व.ग.	श्री भावेश मुद्गल पुत्र स्व. श्री महेश चन्द्र मुद्गल, निवासी मकान नं. 163, पत्रकार कॉलोनी, सेक्टर-5, ग्राम धौलाई, तहसील सांगानेर, जयपुर	निजी खातेदारी	सैग्विन ऑफिसर्स कैम्पस


उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

21/7  
उपायुक्त, जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली

8/6  
उपायुक्त, जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी-1965  
विज्ञापित/सूचना

दिनांक: 28/01/22

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.-81	शेखावाटी नगर (तोपखाना गृ.नि.स.स.)	श्री प्रियंका शर्मा पत्नी श्री पवन शर्मा	निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल करीम	मृत्यु के आधार पर।
2.	भू.सं.-ए131	राजेन्द्र नगर-ए (श्रीगणपति गृ.नि.स.स.)	श्री रामप्रसाद मीणा पुत्र श्री धरसीराम मीणा	श्री पीयूष करवानी पुत्र श्री सुरेश करवानी	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
3.	भू.सं. ई-507	मुरलीपुरा स्कीम (जविप्रा )	श्री विजय कुमार सैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैन	श्री वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामनारायण उपाध्याय	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
4.	भू.सं.-54	कानाराम नगर (श्री जनता गृ.नि.स.स.)	श्री मनीष खण्डेलवाल पुत्र श्री रामकिशन	श्री सुमन देवी पत्नी श्री रामकिशन	मृत्यु के आधार पर।
5.	भू.सं.-5 व 6	स्कीम नं.08 (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स.)	मोहम्मद याकुब पुत्र मोहम्मद मुनीर खॉ	श्रीमति जनैत पत्नी श्री मुनीर खान	मृत्यु के आधार पर।
6.	भू.सं.-सी-398	मुरलीपुरा स्कीम (जविप्रा )	श्रीमति चन्द्रकांता पत्नी श्री वासुदेव मंगलानी	श्री वासुदेव मंगलानी पुत्र श्री मूलचन्द	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन-6-6  
जयपुर, जयपुर

## प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-6-6  
जयपुर, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल: {rajasthan.gov.in}



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-4422

दिनांक:-24/6/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-सिरोही, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 1115/43 रकबा 0.4210 हेक्टेयर, 1117/44 रकबा 0.2090 हेक्टेयर, 48 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, 49 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 50 रकबा 0.2500 हेक्टेयर किता-05 रकबा 1.2700 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-सिरोही, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 1115/43 रकबा 0.4210 हेक्टेयर, 1117/44 रकबा 0.2090 हेक्टेयर, 48 रकबा 0.3600 हेक्टेयर, 49 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, 50 रकबा 0.2500 हेक्टेयर किता-05 रकबा 1.2700 हेक्टेयर भूमि फार्म हाउस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-राजू नकवाल पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी-406, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स एम.आई. रोड, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर



प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2021/डी-4422

दिनांक: 24/6/22

लोक सूचना

राजू नकवाल पुत्र श्री बाबूलाल हिस्सा पूर्ण, जाति-वाल्मिकी सा.नि.सी 406, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स एम. आई. रोड, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	ग्राम-सिरोही	राजू नकवाल पुत्र श्री बाबूलाल	1115/43	0.4210
			1117/44	0.2090
			48	0.3600
			49	0.0300
			50	0.2500
			किता-5	1.2700 हेक्टे

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24/6/22 को जारी की गयी।

*ey*  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर